न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 139/2015

उनवान

शंकर पुत्र हंगामा जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद
--वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र कल्याण,
2. सुखदेई,
3. सोहनी,
4. बरजी पुत्री कल्याण,
5. भागचन्द पुत्र चतुर्भज,
6. रामेशी पुत्री चतुर्भज,
7. गंगा पत्नी देवकरण,
8. रामस्वरूप,
9. शिवराज पि0 देवकरण,
10. लक्ष्मी,
11. सूरता पुत्री देवकरण जाति जाट नि0 ग्राम मोडी, नसीराबाद,
12. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

---- प्रतिवादीगण :– 1 से 11 अनुपस्थित,
12 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–

वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मोडी की निम्न आराजी वादी की कयशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
131	136	0–3–10	572	0.03
129	138 मिन	1–3–10	573	0.21
128	138 मिन	0–8–0	574	0.04

उपरोक्त आराजी वादी ने दिनांक 25.01.86 को प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज द्वारा कय की थी। कय दिनांक से आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी आधार जमाबंदी में बैनामा की रूह से वादी के नाम अंकन करने के बजाय त्रुटिपूर्ण [illegible] प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी

—2

मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विकय पत्र व राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सनुी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम मोडी के चौसाला खसरा नम्बर 131, 128 व 129 के वंर्किग खसरा नम्बर 136 रकबा 0–3–10 व 138 रकबा 1–11–10 की आराजी ततकालीन खातेदार जगदीश, सांवरा पि. माना व मिश्री पुत्र गोपी ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.01.86 को हंगामा पुत्र भोला जाति जाट को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। वंर्किग खसरा नम्बर 138 रकबा 1–11–10 वंकिग जमाबंदी के खाता संख्या 142 में विक्रेता जगदीश, सांवरा पि. माना व मिश्री पुत्र गोपी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त खातें में नामान्तकरण संख्या 300 दिनांक 10.3.93 से वंर्किग खसरा नम्बर 138 रकबा 1–11–10 बैचान से खातेदारों के स्थान पर हंगामा पुत्र भोला के नाम अंकन होने का नोट भी लगा हुआ है। वादी द्वारा नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 10.3.93 भी`श किया है जिससे भी सिद्व होता हे कि बैनामा का नामान्तकरण वादी के पिता के नाम हो चुका था। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 572 रकबा 0.03 वादी के नाम दर्ज है। क्रेता हंगामा की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस वादी स्वयं है। हाल खसरा नमबर 573/0.21 व 574/0.04 पर वादी का 1/2 हिस्सा ही दर्ज है। जबकि बैनामा के अनुसार उक्त पूर्ण रकबा वादी के नाम दर्ज होना चाहिये था। प्रतिवादीगण के नाम आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि बंदोबस्त विभाग को आराजी मुतनाजा का पूर्ण हिस्सा वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 300 दिनांक 10.3.93 के अनुसार दर्ज करना चाहिये था। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। उक्त विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन खातेदार ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है तथा कब्जा क्रेता को सुपुर्द किया है। विक्रेतागण की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस हाल राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। आराजी मुतनाजा विकय के बाद विक्रेता व उसके वारिसान के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम उक्त आराजी का अंकन त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम मोडी स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 573 रकबा 0.21 व 574 रकबा 0.04 की आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय [illegible] डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

हल्का :- मोडी   संवत :- 2071 - 2074

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शंकर बनाम जगदीश वगै

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 139 / 2015
पेश करने की दिनांक – 03.12.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई लरूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम मोडी स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 573 रकबा 0.21 व 574 रकबा 0.04 की आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक   माह   सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद